न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः प्रज्ञा केवलरमानी, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 99 / 2025 अपील (GCMS 2025/130)
पंजीयन दिनांक– 16 / 05 / 2025

अपीलांट्स	रेस्पोडेंट्स
1. गोवर्धन लाल पुत्र श्री नानूराम मीणा, 2. श्रीमती रेखा बाई पत्नी श्री गोवर्धन लाल मीणा, दोनों निवासी–सखतल, तहसील सुहागपुरा, जिला प्रतापगढ़	1. राजस्थान सरकार द्वारा जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ 2. उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ 3. तहसीलदार, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या – 100 / 2025 अपील (GCMS 2025/131)

अपीलांट	रेस्पोडेंट्स
श्रीमती कैलाशी पत्नी श्री नारायण मीणा, निवासी बनेड़िया खुर्द, तहसील प्रतापगढ़, जिला प्रतापगढ़	1. राजस्थान सरकार द्वारा जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ 2. उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ 3. तहसीलदार, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या – 101 / 2025 अपील (GCMS 2025/129)

अपीलांट्स	रेस्पोडेंट्स
1. निसार मोहम्मद पुत्र श्री शफी मोहम्मद, 2. श्रीमती गुलशन बी पत्नी श्री निसार मोहम्मद, दोनों निवासी–सखतल, तहसील सुहागपुरा, जिला प्रतापगढ़	1. राजस्थान सरकार द्वारा जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ 2. उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ 3. तहसीलदार, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या – 102 / 2025 अपील (GCMS 2025/128)

अपीलांट्स	रेस्पोडेंट्स
1. जितेन्द्र पुत्र श्री रूपलाल मीणा, 2. श्रीमती कलावन्ती पत्नी श्री जितेन्द्र मीणा, दोनों निवासी–मालीखेड़ा, तहसील प्रतापगढ़, जिला प्रतापगढ़	1. राजस्थान सरकार द्वारा जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ 2. उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ 3. तहसीलदार, प्रतापगढ़

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

प्रकरण संख्या – 103 / 2025 अपील (GCMS 2025/127)

अपीलांट्स	रेस्पोडेंट्स
1. प्रकाश चन्द्र पुत्र श्री नन्दलाल मीणा, 2. श्रीमती ऊषा पत्नी श्री प्रकाश चन्द्र मीणा, दोनों निवासी–कड़ियावद, तहसील प्रतापगढ़, जिला प्रतापगढ़	1. राजस्थान सरकार द्वारा जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ 2. उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ 3. तहसीलदार, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या – 104 / 2025 अपील (GCMS 2025/126)

अपीलांट्स	रेस्पोडेंट्स
1. केसरीमल पुत्र श्री रामदेव मीणा, 2. श्रीमती सुरजा पत्नी श्री केसरीमल मीणा, दोनों निवासी–टिमरवा, तहसील प्रतापगढ़, जिला प्रतापगढ़	1. राजस्थान सरकार द्वारा जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ 2. उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ 3. तहसीलदार, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या – 105 / 2025 अपील (GCMS 2025/125)

अपीलांट्स	रेस्पोडेंट्स
1. चन्दुलाल पुत्र श्री लालु मीणा, 2. श्रीमती लीला पत्नी श्री चन्दुलाल मीणा, दोनों निवासी–मानपुरा, तहसील प्रतापगढ़, जिला प्रतापगढ़	1. राजस्थान सरकार द्वारा जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ 2. उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ 3. तहसीलदार, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या – 106 / 2025 अपील (GCMS 2025/124)

अपीलांट्स	रेस्पोडेंट्स
1. राजमल पुत्र श्री देवीलाल मीणा, 2. श्रीमती सुगना पत्नी श्री राजमल मीणा, दोनों निवासी–बोमा, तहसील प्रतापगढ़, जिला प्रतापगढ़	1. राजस्थान सरकार द्वारा जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ 2. उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ 3. तहसीलदार, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या – 107 / 2025 अपील (GCMS 2025/123)

अपीलांट्स	रेस्पोडेंट्स
1. अशोक पुत्र श्री नारीया मीणा, 2. श्रीमती काली बाई पत्नी श्री अशोक मीणा, दोनों निवासी–बोमा, तहसील प्रतापगढ़, जिला प्रतापगढ़	1. राजस्थान सरकार द्वारा जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ 2. उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ 3. तहसीलदार, प्रतापगढ़

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

प्रकरण संख्या – 108/2025 अपील (GCMS 2025/122)

अपीलांट्स	रेस्पोडेंट्स
1. कारूलाल पुत्र श्री गंगाराम मीणा, 2. श्रीमती प्रेमी बाई पत्नी श्री कारूलाल मीणा, दोनों निवासी–मनोहरगढ़, तहसील प्रतापगढ़, जिला प्रतापगढ़	1. राजस्थान सरकार द्वारा जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ 2. उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ 3. तहसीलदार, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या – 109/2025 अपील (GCMS 2025/121)

अपीलांट्स	रेस्पोडेंट्स
1. गणेशलाल पुत्र श्री रूपलाल मीणा, 2. श्रीमती नर्बदा पत्नी श्री गणेशलाल मीणा, दोनों निवासी–बोमा मनोहरगढ़, तहसील प्रतापगढ़, जिला प्रतापगढ़	1. राजस्थान सरकार द्वारा जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ 2. उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ 3. तहसीलदार, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या – 110/2025 अपील (GCMS 2025/120)

अपीलांट्स	रेस्पोडेंट्स
1. प्रकाश पुत्र श्री नाथू मीणा, 2. श्रीमती प्रथा पत्नी श्री प्रकाश मीणा, दोनों निवासी–बोमा मनोहरगढ़, तहसील प्रतापगढ़, जिला प्रतापगढ़	1. राजस्थान सरकार द्वारा जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ 2. उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ 3. तहसीलदार, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या – 111/2025 अपील (GCMS 2025/119)

अपीलांट्स	रेस्पोडेंट्स
1. भंवर लाल पुत्र श्री खाना मीणा, 2. श्रीमती रतनी पत्नी श्री भंवर लाल मीणा, दोनों निवासी–बोमा मनोहरगढ़, तहसील प्रतापगढ़, जिला प्रतापगढ़	1. राजस्थान सरकार द्वारा जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ 2. उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ 3. तहसीलदार, प्रतापगढ़

उपस्थितः–

1. श्री समरथ मल साहु – वकील अपीलांट
2. श्री मुरलीधर पालीवाल – राजकीय अभिभाषक

अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के प्रकरण संख्या 07/2024, प्रकरण संख्या 12/2024, प्रकरण संख्या 13/2024, प्रकरण संख्या 15/2024, प्रकरण संख्या 19/2024, प्रकरण संख्या 20/2024, प्रकरण संख्या

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

निर्णय

दिनांक 30/01/2026

अपीलांट द्वारा यह अपीलें राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलेक्टर, प्रतापगढ़ के प्रकरण संख्या 07/2024, प्रकरण संख्या 12/2024, प्रकरण संख्या 13/2024, प्रकरण संख्या 15/2024, प्रकरण संख्या 19/2024, प्रकरण संख्या 20/2024, प्रकरण संख्या 21/2024, प्रकरण संख्या 23/2024, प्रकरण संख्या 61/2024, प्रकरण संख्या 70/2024, प्रकरण संख्या 71/2024, प्रकरण संख्या 74/2024, प्रकरण संख्या 79/2024, निर्णय दिनांक 12.03.2025 के विरूद्ध पेश की गयी। **सभी अपीलें कृषि भूमि आवंटन निरस्ती से संबंधित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने सभी प्रकरणों का संयुक्त रूप से एक ही आदेश पारित किया है जिससे सभी उक्त अपीलों का एक ही निर्णय दिया जा रहा है। निर्णय की प्रति सभी प्रकरणों में शामिल फाईल की जावे।**

अपीलों का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण को कृषि भूमि का आवंटन किया गया। इन आवंटन की शिकायत प्राप्त होने पर जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ द्वारा एक समिति का गठन किया गया जिसकी अनुशंषा के आधार पर तहसीलदार, प्रतापगढ़ ने आवंटन निरस्ती के आवेदन जिला कलक्टर को प्रस्तुत किये गये। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवाई सभी आवंटन दिनांक 12.03.2025 को निरस्त कर दिये। इस आदेश से व्यथित होकर उक्त अपीलें इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

अपीलें दर्ज की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलांट द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई।

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

विद्वान वकील अपीलार्थीगण ने अपनी मौखिक व लिखित बहस में बताया कि अपीलार्थीगण को नियमानुसार भूमि का आवंटन किया जाकर कब्जा दिया गया। उन्हें सुनवाई हेतु नोटिस की विधिवत तामिल नहीं करवाई गई जिससे अपीलार्थी अपने सुनवाई के अधिकार से वंचित रहा। मौके पर जाकर एक पक्षीय रिपोर्ट अपीलार्थी की अनुपस्थिति में रिपोर्ट बनाई गयी। जांच कमेटी की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए वेग तथ्यों का अनुमान लगाते हुए आवंटन निरस्त कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय ने 15 मामलों में एक ही आदेश साईक्लोस्टाईल तरीके से पारित कर दिया जो विधिवत आदेश की श्रेणी में नहीं आता है जबकि प्रत्येक प्रकरण में समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों का समुचित रूप से विवेचना करनी चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से यह कहीं भी स्पष्ट नहीं होता है कि आवंटन नियम, 1970 के किन प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है तथा किस अपीलार्थी का आवंटन किस कारण से निरस्त किये जाने योग्य है इसका कोई उल्लेख नहीं है। इसके विपरीत संयुक्त रूप से वेग कारण दर्शाते हुए आदेश पारित किया गया जो निरस्त योग्य है।

विद्वान वकील अपीलार्थीगण ने यह भी बताया कि जिन दस्तावेजों के आधार पर आवंटन निरस्ती का आदेश दिया गया है वह दस्तावेज पत्रावली में संलग्न नहीं है न ही अपीलार्थीगण को उनकी प्रतियां उपलब्ध करवाई गई है। बिना अपीलार्थी के संज्ञान में लाये ऐसे दस्तावेजों के आधार पर दिया गया आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के भी विपरीत है। हमारा ध्यान माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान बेंच, जयपुर की एस.बी.सिविल रिट पीटीशन संख्या 17904/2018 आदेश दिनांक 19.08.2025, माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली की डब्लु.पी.(सी) 10876/22 आदेश दिनांक 20.07.2022, डब्लु.पी.(सी) 8959/2020 आदेश दिनांक 11.11.2020, माननीय उच्च न्यायालय, पटना की सिविल रिट 8777/2020 निर्णय दिनांक 21.10.2021 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एस.एल.पी. (सी) 31887–88/2017 निर्णय दिनांक 30.05.2025 की ओर आकर्षित करते हुए उपरोक्त अपीलों को स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि भूमि आवंटन नियमों के विपरीत किया गया है जिससे बाद जांच अधीनस्थ न्यायालय ने उचित ही निरस्त किया गया है। अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाकर अपीलों को निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

हमने विद्वान वकीलों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि सभी 13 प्रकरणों में प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021–22 के दौरान राजस्थान भू–राजस्व कृषि भूमि आवंटन नियम–1970 के तहत किए गए आवंटन व नियमन हेतु प्रचलित विधियों के तहत प्रक्रियाओं की पालना नहीं किए जाने तथा आवंटन हेतु उद्घोषित भूमियों के संबंध में राजस्व अभिलेख व मौका स्थिति को संज्ञान में नहीं लाया जाकर संबंधित पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक तथा तहसीलदार की अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट अनुसार भूमि आवंटन किया जाना संज्ञान में आने पर जिला कलक्टर द्वारा गठित जांच समिति की प्रकरणवार विस्तृत रिपोर्ट के पश्चात भूमिधारी तहसीलदार, प्रतापगढ़ द्वारा धारा 14(4) भू राजस्व आवंटन नियम, 1970 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदनों को बाद विधिवत सुनवाई जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ द्वारा आक्षेपित आवंटनों में तथ्यात्मक, प्रक्रियात्मक एवं विधिक बिन्दुओं का उल्लंघन पाते हुए समस्त 13 आवंटनों को निरस्त किया जाकर राजकीय भूमियों की गैर खातेदारियां विलोपित कर आवंटित भूमियों को पुनः राजकीय खाते में दर्ज किए जाने का दिनांक 12.03.2025 को आदेश पारित किया गया। साथ ही संलिप्त दोषी कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी प्रस्तावित की गई।

अपीलार्थीगण का प्रमुख आक्षेप यह है कि सभी प्रकरणों के तथ्य भिन्न होते हुए भी एक साझा निर्णय (shared order) से बगैर तथ्यों का विश्लेषण करते हुए एक साइक्लोस्टाइल आदेश जारी किया जाकर समस्त आवंटन आदेश निरस्त कर दिए गए जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

से यह पाया जाता है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा जिला स्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट का संदर्भ आदेश में दिया है तथा जांच समिति का प्रतिवेदन अभिलेख पर भी मौजूद है किन्तु 13 प्रकरणों के एकीकृत निर्णय (common order) में प्रकरणवार विसंगतियों का उल्लेख नहीं किया जाकर आदेश के निर्णायक भाग (operative part) में विधिक प्रक्रियाओं के उल्लंघन का सामुहिक वर्णन है। उचित होता कि जांच समिति द्वारा अंकित आवंटन की वैधानिक स्थिति व प्रक्रियात्मक त्रुटियां प्रकरणवार आदेश में प्रदर्श की जाती जिससे आदेश स्वतः व्याख्यात्मक (self speaking) रूप लेता। तथापि चूंकि समस्त वांछित दस्तावेज अपीलीय अभिलेख का भाग हैं, अतः आदेश में कारित प्रक्रियात्मक अनावधान (procedural oversight) के कारण समस्त कार्यवाही को निष्प्रभावी (nullify) किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में जिला स्तरीय जांच समिति के प्रतिवेदन के प्रकरणवार सुसंगत प्रासंगिक अंश यहां उद्धृत किए जाना उचित समझा जाता है:

क्र. स.	प्रकरण संख्या न्यायालय हाजा / अधीनस्थ न्यायालय	मिसल संख्या एवं आवंटन दिनांक	राजस्व ग्राम	आवन्टी का नाम	आवंटी मूल ग्राम निवासी	आवंटित भूमि किस्म	कब्जे कि स्थिति	मुख्य सड़क मार्ग (NH/SH/MDR/VR) से दूरी	आवंटन की वैधानिक स्थिति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	8.	10.
1.	99 / 2025 07 / 2024	225 / 02.09.2022	चतरिया खेड़ी	श्री गोवर्धन लाल पिता नानुराम व रेखा बाई पत्नि गोवर्धन लाल मीणा	सखथल तह. सुहागपुरा	बंजर	कब्जा नहीं	आ.न. 232 / 264 एनएच से 95 मी. दूर आ.न. 20–200 मी., आ.न. 21–265 मी., आ.न. 23 / 288 एनएच से लगता हुआ	**सड़क सीमा क्षेत्र में आवंटन** प्रकरण प्रक्रियात्मक एवं तकनीकी आधारों पर अवैध (Violation of IRC Norms)
2.	100 / 2025 12 / 2024	222 / 02.09.2022	बनेडिया खुर्द	कैलाशी पत्नि नारायण मीणा	बनेडियाखुर्द	बंजर	कब्जा नहीं	एनएच से दूरी 134–90 मी, आ.न. 135–250 मी, 264, 265–400 मीटर दूर	**आराजी नम्बर 134 व 135 ग्राम की सीमा पर स्थित व एकमुश्त / एकचक नहीं।** प्रकरण प्रक्रियात्मक एवं तकनीकी आधार पर अवैध
3.	101 / 2025 13 / 2024	228 / 02.09.2022	टीमरवा	श्री निसार मोहम्मद पिता शमी मोहम्मद, गुजरान बी पत्नि निसार मोहम्मद	प्रतापगढ	बंजर	कब्जा नहीं	एनएच से लगे हुए है	**सड़क सीमा क्षेत्र में आवंटन** प्रक्रियात्मक एवं तकनीकी आधारों पर अवैध

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

4.	102 / 2025 15 / 2024	213 / 02.09.2022	मनोहरगढ़	जितेन्द्र पिता रूपलाल व कलावन्ती पत्नि जितेन्द्र मीणा	मालीखेड़ा प.ह. प्रतापगढ़	बंजर	कब्जा नही	एनएच से 560 मी दूर	**अन्य ग्राम का निवासी** प्रकरण प्रक्रियात्मक आधारों पर अवैध
5.	103 / 2025 19 / 2024	234 / 02.09.2022	टीमरवा	प्रकाश चंद पिता नन्दलाल व उषा पत्नि प्रकाश चंद मीणा	कडियावाद	बंजर	कब्जा नहीं है	एनएच से 800 मी दूर	**अन्य ग्राम पंचायत का निवासी** प्रकरण प्रक्रियात्मक आधारों पर अवैध
6.	104 / 2025 20 / 2024	217 / 02.09.2022	मनोहरगढ़	केसरमल पिता रामदेवा व सुरजा पत्नि केसरमल मीणा	टीमरवा	खड्डेदार	कब्जा नहीं	आ.न. 1887 / 1061 एन.एच. से 80मी दूर, 1059–280मी	**वर्जित किस्म का आवंटन** प्रकरण प्रक्रियात्मक एवं तकनीकी आधारों पर अवैध
7.	105 / 2025 21 / 2024	249 / 02.09.2022	टीमरवा	चन्दुलाल पिता लालु व लीला पत्नि चन्दु लाल मीणा सा. मानपुरा	मानपुरा प.ह. प्रतापगढ़	बंजर	कब्जा नहीं	सभी खसरे लगभग एन.एच से 500मी दूर	**अन्य ग्राम का निवासी** प्रकरण प्रक्रियात्मक आधारों पर अवैध
8.	106 / 2025 23 / 2024	223 / 02.09.2022	बनेडिया खुर्द	राजमल पिता देवीलाल, सुगना पत्नि राजमल मीणा	बोमा मनोहरगढ़	बंजर	कब्जा नही	स्टेट हाइवे से 600मी दूर	**गांव की सीमा पर स्थित भूमि** प्रकरण प्रक्रियात्मक एवं तकनीकी आधारों पर अवैध
9.	107 / 2025 61 / 2024	231 / 02.09.2022	टीमरवा	अशोक पिता नारिया, काली बाई पत्नि अशोक मीणा	बोमा प.ह. मनोहरगढ़	बंजर	कब्जा नहीं	आ.न. 307 एनएच से 90 मी दूर 119–800मी	**नक्शे में तरमीम का अभाव** प्रकरण प्रक्रियात्मक आधारों पर अवैध
10.	108 / 2025 70 / 2024	247 / 02.09.2022	टीमरवा	श्री कारूलाल पिता गंगाराम, प्रेमी पत्नि कारूलाल	बोमा प.ह. मनोहरगढ़	बंजर	कब्जा नहीं	एनएच से 600मी दूर	**नक्शे में तरमीम का अभाव** प्रकरण प्रक्रियात्मक आधारों पर अवैध
11.	109 / 2025 71 / 2024	220 / 02.09.2022	मनोहरगढ़	गणेश पिता रूपलाल व नर्मदा पत्नि गणेश मीणा सा.देह.	बोमा मनोहरगढ़	खड्डेदार	कब्जा नहीं	दोनों खसरे एनएच से 160 मी दूर	**आबादी से लगती हुई भूमि** प्रकरण प्रक्रियात्मक एवं तकनीकी आधारों पर अवैध
12.	110 / 2025 74 / 2024	229 / 02.09.2022	टीमरवा	प्रकाश पिता नाथु व प्रथा पत्नि प्रकाश मीणा	बोमा प.ह. मनोहरगढ़	बंजर	कब्जा नहीं	एनएच से 95 मी दूर	**सड़क सीमा में आवंटन** प्रकरण प्रक्रियात्मक आधारों पर अवैध, **नक्शे में तरमीम का अभाव**
13.	111 / 2025 79 / 2024	232 / 02.09.2022	टीमरवा	भंवरलाल पिता खाना, रतनी बाई पत्नि भंवरलाल मीणा	बोमा प.ह. मनोहरगढ़	बंजर	कब्जा नहीं	आ.न. 371 मी एनएच से 95 मी दूर 324–248 मी	**आराजी नम्बर 324 में रकबा शेष नहीं रहने से** प्रकरण प्रक्रियात्मक आधारों पर अवैध

उपरोक्तानुसार जिला स्तरीय जांच कमेटी के विस्तृत प्रतिवेदन दिनांक 07.03.2024 को आधार दस्तावेज मानते हुए उसमें अंकित व्याख्यात्मक विश्लेषण अनुसार समस्त 13 प्रकरणों में विभिन्न प्रक्रियात्मक एवं तकनीकी विसंगतियां प्रदर्श हैं। प्रस्तुत तालिका व संबंधित अभिलेख के अध्ययन से आवंटन से पूर्व समुचित तैयारी का अभाव व प्रस्तावित आवंटन भूमियों का सड़क सीमा अथवा प्रतिबन्धित श्रेणी की परिधि में होने तथा आबादी से लगती हुई होकर रास्ता बाधित व विवाद उत्पन्न करने वाली एवं मूल राजस्व ग्राम व ग्राम पंचायतों से पृथक ग्रामवासियों को आवंटन प्रमुख विवाधक रहा है। साथ ही प्रस्तावित भूमियों में परस्पर दो राजस्व ग्रामों की सीमावर्ती भूमि के आवंटन से तनाजा विवाद तथा मुस्तकिल बिन्दुओं के विवाद की स्थिति जाहिर हुई है। आबादी से लगती हुई भूमि व अन्य क्षेत्र के व्यक्ति को आवंटन, कृषि प्रयोजन संबंधी मूलभूत उद्देश्य के प्रतिकूल दर्शित हुआ है।

संभागीय आयुक्त

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021–22 के दौरान किए गए आवंटन आदेशों के संदर्भ में नियम 14 (4) भू–राजस्व आवंटन नियम, 1970 के तहत किए गए अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.03.2025 में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझा जाता है। किन्तु भविष्य के लिए पीठासीन अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक आवंटन प्रक्रिया की प्रकृति अनुसार गुणावगुण पर पृथक व्याख्यात्मक आदेश पारित किए जावें।

उक्त विवेचना के प्रकाश में अपीलार्थीगण की अपील अस्वीकार की जाती है।

(प्रज्ञा कंवलरमानी)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

निर्णय आज दिनांक 30.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रज्ञा कंवलरमानी)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर